न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :– 12/2017/भीलवाड़ा (2017/00021)

1. भागूराम पुत्र श्योरामजी
2. औंकार जी पुत्र श्री श्योराम जी
3. प्रकाश पुत्र श्री अमरचन्द जी
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बलेव तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मांगू पुत्र श्री बक्तावर जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ग्राम बलेव पटवार हल्का भोजपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाड़ा दिनांक 18.05.2015 प्रकरण संख्या 171/2015.

उपस्थितः–

1. श्री माधव राज सिंह, वकील अपीलांटस । लगायत 2
2. श्री शिसिर विजयवर्गीय,वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. राजकीय अभिभाषक–उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–12.02.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 18.05. 2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलेक्टर महोदय आसीन्द के समक्ष राज्य सरकार के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बलेव पटवार हल्का भोजपुर के खसरा सं0 31 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा में से 3 बीघा का भूमि का आंवटन उसे दिनांक 25.05.1989 को किया गया जबसे वह काबिज होकर काश्त कर रहा है व प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या

225 दिनांक 03.06.1989 को तस्दीक किया जाकर साविक खसरा संख्या 31 में बटा संख्या 797/31 रकबा 3 बीघा का गैर खातेदार कायम कर दिया दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त साबिक आराजी खसरा संख्या 31 के नवीन आराजी संख्या 239 रकबा 0.22 व खसरा संख्या 241 रकबा 0.43 हैक्टेयर कायम किये व नाजायज तौर पर उक्त रकबे को बिलनाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त 2 खसरा संख्या विपक्षी वादी के नाम दर्ज होने चाहिए थे। उक्त वाद का नोटिस तहसीलदार महोदय पर तामिल होने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय ने मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार महोदय बदनोर ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या 797/31 के कोई नया नम्बर कायम नहीं किये गये हैं व खसरा संख्या 239 व 241 व खसरा संख्या 239 में एक मकान बना हुआ है व शेष भूमि पत्थरीली व झाडीनुमा है व कृर्षि के काम नहीं आ रही है व साबिक व हाल नक्शे का मिलान करने पर खसरा संख्या 239 का मिलान साबिक भूमि से नहीं होता है एंव वर्तमान खसरा संख्या 241 व 242,243 व 251 की भूमि से होता है इसके बाबजूद भी उपखण्ड अधिकारी महोदय ने उक्त वाद को लोक अदालत कैम्प भोजपुर में नियत कर बिना किसी सहमति के अपने आदेश दिनांक 18.05.2015 द्वारा उक्त भूमि को विपक्षी मांगू पुत्र श्री वक्ताबर के नाम दर्ज करने की गैर कानूनी आज्ञा पारित कर दी। जबकि खसरा संख्या 239 की भूमि पर प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है व विपक्षी की आराजी संख्या 239,241 की भूमि का आवंटन नहीं हुआ है एंव खसरा संख्या 239 व 241 की भूमि पर अपीलांट काबिज है व उसका मकान बना हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.05.2015 द्वारा गैर कानूनी तौर पर बिना किसी अधिकार के व बिना अपीलांट को सुने यह निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की है। अपीलार्थी ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 एंव अपील पेश किये जाने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एक्ट पेश की है ।

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एक्ट पर सुना जाकर निर्णय करें तदुपरान्त अपील व अन्य प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने निवेदन किया गया । अतः सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एक्ट पर उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

3- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा ने सर्वप्रथम सीपीसी एक्ट की धारा-96 प्रार्थना पत्र पर बहस आरम्भ करते हुए धारा 96 सीपीसी एक्ट के तहत अनुमति दिये जाने पर विचार किये जाने का निवेदन किया कि खसरा संख्या 239 की भूमि पर अपीलांट लम्बे समय से काबिज है व इस भूमि पर अपीलांटगण का मकान बना हुआ है व इस भूमि को विपक्षी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय बदनोर के निर्णय दिनांक 18.05.2015 द्वारा अपने नाम कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है व इस आदेश के तहत विपक्षी प्रार्थी को आराजी मुतनाजा पर उनके मकान से बेदखल करने पर आमादा है जबकि खसरा संख्या 239 व 241 की भूमि का कोई

आवंटन विपक्षी को नहीं हुआ है जिस भूमि का आवंटन व नामान्तरकरण विपक्षी को हुआ है वह भूमि उक्त खसरा नम्बर से दूर है विपक्षी ने नाजायज तौर पर उक्त भूमि को अपने नाम कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 239 व 241 की की भूमि पूर्व खसरा संख्या 797/31 से नहीं बनी है । चूंकि अपीलांट का मौके पर कब्जा बतौर अतिक्रमी है अतः मुझे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए ताकि सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बदनोर के निर्णय दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके ।

4- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा बहस के जबाव में कथन किया अप्रार्थी के द्वारा स्वंय को आवंटित भूमि के संबंध में ही आदेश प्राप्त किये गये हैं एंव पटवारी मौकापर्चा रिपोर्ट 18.05.2015/11.11.2016 के साथ शपथ पत्र नजगीराम पुत्र भंवरनाथ,मांगू पुत्र बगतावर,नारायण पुत्र उंकार से भी प्रमाणित है कि उक्त आराजी पर आवंटन से आज दिनांक तक अप्रार्थी ही कब्जा काश्त कर रहा है वर्तमान 239,241 किता 2 पर पत्र सं0 183/12,255/2013,183/2014 से मिसलदर्ज होकर धारा 91 की कार्यवाही मेरे खिलाफ होने की जानकारी का ज्ञान हुआ तब ही अप्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत राहत विद्धान अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त की जिसे चुनौती देने का हक अपीलांट को कैसे है ? अपीलार्थी का बतौर अतिक्रमी कब्जा बताया है जबकि वह वहां काबिज नहीं है अगर काबिज है तो भी अतिक्रमी को कोई हक अधिकार नहीं मिलता है विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की मालिकाना हक की भूमि है अपीलार्थी का प्रकरण में कोई Locus Standi नहीं बनता है अपीलार्थी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि वह अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से केसे पीडित है ? अपीलार्थी ने अपील में स्वंय के लिए कोई अनुतोष नहीं चाहा है । विद्धान रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत RRT 2016 Volume 11 Page 954 पेश किया जिसमें अभिनिर्धारित है कि स्वंय के लिए अनुतोष नहीं चाहने पर अपील संधारणीय नहीं है । प्रार्थी को सीपीसी एक्ट की धारा 96 के तहत भी अपीलांट के पीडित पक्ष होने का दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने से राहत नही दी जा सकती यहां अपील में खुद के लिए रिलिफ नहीं चाहा गया है इस स्थिति में स्वंय के लिए अनुतोष नहीं चाहने पर अपील संधारण योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 खारिज योग्य है।

5- अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1- RRT 2012(2) RB 741- SEC 96CPC 2-RRT 2017(1) RB 634 3-RRT 2016(2RB 984 4-RRT 2002(1) RB 355- SEC 96 CPC 5-RRT 2010(1)RB 157 6-RRT 2011(1) HC 663 की ओर आकर्षित करते हुए अपीलांट की अपील संधारण योग्य नहीं होने से सीपीसी धारा 96 से अनुज्ञा नहीं दिये जाने का निवेदन किया।

6- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख सहित विभिन्न दृष्टातों व अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन करते हुए गंभीरता से इनपर मनन किया हम

सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में धारा 96 सीपीसी एक्ट पर विचार किया जाना न्यायोचित समझते हैं इस संबंध में हम रेस्पोडेन्ट अभिभाषक के कथनों व दृष्टांतों से सहमत है कि प्रार्थी द्वारा सीपीसी धारा 96 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे उन्हैं व्यथित पक्षकार होना माना जा सके । चूंकि तथ्यों के आधार पर एंव आराजी न0 31 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि बटा आराजी न0 791/31 के कोई नया नम्बर कायम नहीं होने से विद्धान उपखण्ड अधिकारी बिजनोर भीलवाडा ने अप्रार्थी को खसरा सं0 239 रकबा 0.22 हैक्टर ,241 रकबा 0.43 हैक्टर कुल किता 2 हैक्टर भूमि बिलानाम में से अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश जारी किया जाने का निर्णय में कोई विधिक एंव तथ्यात्मक त्रृटि प्रतीत नहीं होती है । यदि यह मान भी लिया जावे कि विवादित आराजी के कुछ भाग पर अपीलांट अतिक्रमी है तो भी उसे बतौर अतिक्रमी किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं मिलता है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का कोई (Locus Standi) The right or capacity to bring an action or to appear in a court नहीं बनता है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को विधिक रूप से आवंटन एंव सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश उचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एक्ट खारिज योग्य होने से अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः विद्धान उपखण्ड अधिकारी बदनोर भीलवाडा का निर्णय दिनांक 18.05.2015 यथावत योग्य रखा जाना उचित होगा।

–:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 12/2017 (2017/00017) बउनवानी भागूराम व अन्य बनाम मांगू में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एक्ट खारिज किया जाता है जिसके कारण अपील संधारण योग्य नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बदनोर जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 171/2015 बउनवान मांगूराम बनाम भागूराम में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2015 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 11:46:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: